

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाबा दीवानी)

(2)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रोजमीम
 नास पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य R.A.S
 उन्वान

1) रामसिंह खतव्यू
 2) रामसिंह पंडु
 3) रतन बाई पुगी
 4) रामसिंह पुत्र मुखपाल
 बाई पुगी कन्हैया
 5) बन्नी पिठ कन्हैया
 6) पालि मोहरी
 7) याल कर्तक पुत्र मजत

बनाम

1) केशू राम आ. भुल्या
 2) केदार पुत्र केशू राम
 3) सावल पुत्र केशू राम
 जाति मीना गिवाली - मान्जो ज
 तखील - रोजमीम - जिवा
 कसेली

मुकदमा नं० 07 / सन् 2015

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबई सुनील कुमार जिन्दल मिय. व हाजिरी
 मिनकानिब गुदई सबस हमारे

मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि
 जीनाभा के आधार पर जाम मान्जो ज की भूमि खाने पाउरुका
 इहे जे मु चाह, पाउरुका लगे हे जे मु चाह से हम प्रतिवादी
 को ई लेना देना नही हे एवाश को ई हक नही हे। इए भूमि में
 तपेड बोधो आदि से भी प्रतिवादी को को ई वास्ता नही हे।
 वा डिक्री किया जाता है। आगे मुकदमा चलाना नही
 हे।

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करे।
 दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 6. सन् 2015
 जारी की गई।

मुहर दस्तखत ओहदा उप जिला कलक्टर
 केरली (करोली)

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
दलत नामा			स्टाम्प अर्जी		
ह सबूत			महन्ताना वकील		
वकील			खर्चा गवाहान		
दान			फीस कमिशनर		
शनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
राय हुकमनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।